जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
विद्युत भवन, जनपथ, जयपुर

क्र0 जेपीडी/प्रशा0/3/एफ–2(भर्ती)/प्रे0 591 जयपुर, दिनांक : 12-8-11

आदेश

निम्नांकित आश्रितों को अनुकम्पात्मक आधार पर उनके नाम के आगे इंगित पद पर दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में आदेश में दर्शायी गई शर्तो एवं नियमों के आधार पर नियुक्ति प्रदान कर कॉलम संख्या 5 में वर्णित अधिकारी के अधीन पदस्थापित किया जाता है।

क्र. स.	आश्रित व मृतक कर्मचारी का नाम मय कार्यालय	जन्म दिनांक	पदनाम	पदस्थापन
1	श्री विक्रम सिंह गहलोत, पुत्र स्व. राजेन्द्र सिंह, कार्या. ACOS (JCC), जयपुर।	02-05-93	सहायक–प्रथम	उप सचिव (भर्ती–ग्रिवेन्स), जयपुर)
2	श्री गजेन्द्र सिंह रावत, पुत्र स्व. चन्द्रसिंह रावत, कार्या. स.अ. (C-IV), जयपुर।	21-12-91	सहायक–प्रथम	कार्मिक अधिकारी (जांच), जयपुर।
3	श्री घनश्याम गोठवाल, पुत्र स्व. गंगाराम, कार्या., स.अ. (B-I), जयपुर।	08-04-82	सहायक–प्रथम	लेखाधिकारी (पवस) JPDC, जयपुर
4	श्री राजेश कुमार सैनी, पुत्र स्व. मोतीलाल सैनी, कार्या स.अ. (A-II), दौसा।	30-04-86	सहायक–प्रथम	सहायक अभियन्ता (A-II), दौसा
5	श्री राकेश कुमार, पुत्र स्व. रामबली, कार्या. स.अ. (MST-I), कोटा।	20-08.80	सहायक–प्रथम	सहायक अभियन्ता (B-III), कोटा।
6	श्री मुराद खान, पुत्र स्व. मड्डू खाँ, कार्या.स.अ.(A-II), सवाईमाधोपुर।	14-05-89	सहायक–द्वितीय	सहायक अभियन्ता (A-II), सवाईमाधोपुर।
7	श्री रोशन लाल, पुत्र स्व. बाबूलाल, कार्या. स.अ. (पवस), बहरोड़।	23-12-84	सहायक– द्वितीय	सहायक अभियन्ता (पवस), बहरोड़
8	श्री भवानी सिंह, पुत्र स्व. ग्यारसी लाल, कार्या. स.अ. (B-II), जयपुर।	21-07-92	सहायक–द्वितीय	विशेषाधिकारी (GAD), जयपुर
9	श्री विनोद सैनी, पत्नि स्व. बहादुर सिंह, कार्या. स.अ. (A-II), भरतपुर।	05-04-90	सहायक–द्वितीय	सहायक अभियन्ता (A-III), भरतपुर।
10	श्रीमती कमलेश, पत्नि स्व. मोहनलाल, स.अ. (पवस), कुण्डा की ढाणी	08-12-75	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	मुख्य लेखाधिकारी (ATR), जयपुर।

नियत मासिक पारिश्रमिक/वेतन श्रृंखला :–

परिवीक्षाकाल अवधि के दौरान निम्नानुसार मासिक नियत पारिश्रमिक देय होगा इसके अतिरिक्त इन्हें कोई विशेष वेतन/भत्ता आदि देय नहीं है। परिवीक्षाकालावधि सफलतापूर्वक पूरी करने पर इनके सामने दर्शाया गया वेतनमान अनुज्ञाप्त किया जायेगा।

क्र. सं.	पद नाम	मासिक नियत पारिश्रमिक	वेतन श्रृंखला रू.	ग्रेड पे. रू.
1	सहायक प्रथम	5900/–	5200– 20200	1850
2	सहायक द्वितीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	5300/–	4750– 7440	1650

नियम व शर्तें :–

1. यह नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षाकाल अवधि पर अस्थाई है। सक्षम अधिकारी द्वारा प्रशिक्षणार्थी का कार्य एवं व्यवहार संतोषजनक नहीं पाये जाने पर परिवीक्षाकाल अवधि में वृद्धि की जा सकेगी।
2. कार्यग्रहण करते समय प्रशिक्षणार्थी को प्राधिकृत चिकित्सक जो जिला चिकित्सा अधिकारी (जिस जिले में कर्मचारी का मुख्यालय स्थित है) के स्तर से कम नहीं होगा – द्वारा दिया गया आरोग्यता चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा, जिस मामले में पदधारी पूर्णतया आरोग्य होगा एवं कार्य पर उपस्थित हो जावेगा, उसे चिकित्सा परीक्षण हेतु दिये गये शुल्क की पूर्ति (प्रतिपूर्ति) जयपुर डिस्कॉम द्वारा कर दी जावेगी।
3. कार्यग्रहण करते समय प्रशिक्षणार्थी को निम्नांकित दस्तावेज एवं मूल प्रमाणपत्र संवीक्षा के लिए एवं उनकी सत्यापित प्रतियां कार्यालय अभिलेख हेतु प्रस्तुत करनी होगी :–

   अ शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, जन्म तिथि प्रमाण पत्र

   ब दो उत्तरदायी व्यक्तियों/राजपत्रित अधिकारियों द्वारा दिया गया चरित्र प्रमाण पत्र।

   स अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछडे वर्ग/शारीरिक रुप से विकलांगता का प्रमाण पत्र, अगर इस वर्ग से संबंधित हो तो।

   द पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन हेतु प्रपत्र दो प्रतियों में भरकर।

   ई शपथ पत्र –दिवंगत कर्मचारी का कोई भी आश्रित(पत्नि/पति,पुत्र,अविवाहित पुत्री, दत्तक पुत्र/पुत्री) केन्द्र या राज्य सरकार में अथवा केन्द्र या राज्य सरकार के कानूनी बोर्ड संगठन/निगम जो पूर्णतः या भागतः केन्द्र/राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में हो – के अधीन पहले से ही नियोजित नहीं हैं। मृतक कर्मचारी पत्नी के नियुक्ति प्रकरण में यह शर्त लागू नहीं होगी।
4. प्रशिक्षणार्थी को एक माह का वेतन बतौर नकद प्रतिभूति अथवा राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र के रूप में अग्रिम जमा करवाना होगा अथवा एक माह की अनुबन्धित राशि के बराबर की धनराशि उसके वेतन से तीन किश्तों में वसूल कर जमा की जावेगी अथवा प्रशिक्षणार्थी को जयपुर डिस्कॉम के किसी स्थायी कर्मचारी द्वारा यह प्रत्याभूति भरकर प्रस्तुत करनी होगी कि प्रशिक्षणार्थी द्वारा बिना एक माह का नोटिस दिये सेवा छोड जाने की स्थिति में वह एक माह का वेतन जमा करवाएगा एवं स्थायी कर्मचारी का नियंत्रक अधिकारी यह स्पष्ट रूप से अंकित करेगा कि प्रतिभूति संबंधी प्रविष्टि सेवा–पुस्तिका में कर ली गई है।
5. प्रशिक्षणार्थी की सेवायें किसी भी समय एक माह की लिखित सूचना अथवा उसके बदले में एक माह की अनुबन्धित राशि देकर समाप्त की जा सकती है। किन्तु दुराचार/कदाचार तथा पुलिस द्वारा चरित्र संबंधी प्रतिवेदन पक्ष में नहीं होने के मामले में सेवायें समाप्त की जावेगी, तब किसी प्रकार की लिखित सूचना अनिवार्य नहीं है।
6. सेवा की अवधि के पूर्व सेवा समाप्ति के कारण किसी भी प्रकार की प्रतिभूति क्षतिपूर्ति के योग्य नहीं होगी।
7. प्रशिक्षणार्थी को आवश्यकतानुसार राजस्थान के किसी भी भाग में या जयपुर डिस्कॉम के कार्य क्षेत्र में कहीं भी पदस्थापित किया जा सकता है।

P Posting

8. सेवा के अन्य लाभ एवं शर्तें आदि परिविक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को जयपुर डिस्कॉम के आदेश कमांक जेपीडी/सीएओ/रुल्स/एफ./प्रे. 403 दिनाँक 23.05.06 एवं आदेश कमांक 592 दिनांक 22.06.2006 (जो भी लागू हो) के अनुसार लागू होंगें।

9. उपरोक्त नियुक्त किये जा रहे मृतक कर्मचारी के आश्रित से एक प्रमाण पत्र लिया जावेगा कि मृतक कर्मचारी के परिवार के किसी भी सदस्य को भृत्तिलाभ दिया जा रहा है अथवा नहीं। यदि भृत्तिलाभ दिया जा रहा है तो भृत्तिलाभ बंद करने हेतु जहाँ मृतक कर्मचारी कार्यरत था, उस कार्यालय को तुरन्त सूचित करें तथा उसकी सूचना इस कार्यालय को अवश्य भिजवायें।

10. पदस्थापन आदेश जारी होने के दिनांक से एक माह के अन्दर कार्य स्थल पर उपस्थित होकर कार्यग्रहण करे। निर्धारित अवधि के अन्दर उपस्थिति नहीं देने पर यह नियुक्ति आदेश स्वतः ही समाप्त हो जावेगा।

11. उपरोक्त कर्मचारी मृतक के अन्य आश्रित पारिवारिक सदस्यों का भलीभाति पालन पोषण करेगा व उसे लिखित में यह स्वीकृति (अण्डरटेकिंग) भी देनी होगी कि वह अन्य पारिवारिक सदस्यों का भलीभाति पालन पोषण करेगा। यदि किसी समय यह बात साबित हुई कि अन्य सदस्यों की उपेक्षा की जा रही है या उनका उचित ढंग से ध्यान नहीं रखा जा रहा है तो नियुक्ति नियोक्ता अधिकारी द्वारा इसके बाबत कारण बताओं नोटिस देकर सेवा समाप्त की जा सकती है।

12/8/X)

(पवन कुमार जैन)
सचिव(प्रशासन)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. मुख्य अभियन्ता(प.व.स.), जयपुर डिस्कॉम, जयपुर ।
2. मुख्य कार्मिक अधिकारी, जयपुर डिस्कॉम, जयपुर ।
3. अधीक्षण अभियन्ता(   ), जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
4. मुख्य लेखाधिकारी(ATR), जयपुर डिस्कॉम, जयपुर। आदेश के साथ मूल प्रार्थना पत्र एवं अन्य प्रपत्र सलंग्न किये जा रहे है।
5. उप सचिव(भर्ती-ग्रिवेन्स), जयपुर डिस्कॉम, जयपुर। आदेश के साथ मूल प्रार्थना पत्र एवं अन्य प्रपत्र सलंग्न किये जा रहे है।
6. विशेषाधिकारी(GAD), जयपुर डिस्कॉम, जयपुर। आदेश के साथ मूल प्रार्थना पत्र एवं अन्य प्रपत्र सलंग्न किये जा रहे है।
7. कार्मिक अधिकारी(जांच), जयपुर डिस्कॉम, जयपुर। आदेश के साथ मूल प्रार्थना पत्र एवं अन्य प्रपत्र सलंग्न किये जा रहे है।
8. लेखाधिकारी(JPDC), जयपुर डिस्कॉम, जयपुर। आदेश के साथ मूल प्रार्थना पत्र एवं अन्य प्रपत्र सलंग्न किये जा रहे है।
9. सहायक अभियन्ता (   ), जयपुर डिस्कॉम------------ आदेश के साथ मूल प्रार्थना पत्र एवं अन्य प्रपत्र सलंग्न किये जा रहे है।
10. जनसम्पर्क अधिकारी जयपुर डिस्कॉम जयपुर।
11. निजी सहायक-अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक/सचिव(प्रशासन), जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
12. श्री/कु0 ----------------- पुत्र/पत्नि स्व0 श्री---------------

----

10. कार्यालय पत्रावली/व्यक्तिगत पत्रावली।

एल. आर. गोयल

(एल.आर. गोयल)
उप सचिव(भर्ती)

P Posting